BEFORE THE NANTIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN THE MATTER OF:

Original Application No. 58/2024/EZ

(Earlier O.A No. 167/2024/PB)

In reference news item titled **"Jamshedpur sidgoda me nadi se avaidh rup se balu dhulai ka khel jari Prashasan maun" Appearing in Prabhat Khabar dated. – 24.12.2023.**

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit filed on behalf of Deputy Commissioner, East Singhbhum, Government of Jharkhand.	1 - 4
2.	Verification	5
3.	Annexure A	6 - 8
4.	Annexure B	9 - 12
5.	Annexure C	13 - 16
6.	Annexure D	17 - 18
7.	Annexure E	19 - 21

AISHWARYA RAJYASHREE
Advocate
Bar Association Room No. 5,
High Court, Calcutta
Chamber: 8/1, K.S. Roy Road, Kolkata: 700001
(M) 9874995669 Email : advaish.hc@gmail.com

NOTARY K. K. AGARWAL East Singhbhum Jamshedpur Regd. No.65/2002 GOVERNMENT OF JHARKHAND

ATTESTED
.../8/24

K. K. AGARWAL
NOTARY PUBLIC
JAMSHEDPUR

Scanned with CamScanner

SL No. 10
Date: 24/8/24
Regd. No 65/2002

NOTARY K. K. AGARWAL East Singhbhum Jamshedpur Regd. No.65/2002 GOVERNMENT OF JHARKHAND

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN THE MATTER OF:

Original Application No. 58/2024/EZ

(Earlier O.A No. 167/2024/PB)

In reference news item titled "Jamshedpur sidgoda me nadi se avaidh rup se balu dhulai ka khel jari Prashasan maun" Appearing in Prabhat Khabar dated. – 24.12.2023.

COUNTER AFFIDAVIT FILED ON BEHALF OF DEPUTY COMMISSIONER, EAST SINGHBHUM, GOVERNMENT OF JHARKHAND (i.e. RESPONDENT NO. 2 HEREIN).

I, Satish Kumar Nayak, Son of Lakhan Nayak aged about 31 years, by Religion - Hindu, by Occupation – Service under the State Government of Jharkhand in the office of the District Mining Office, East Singhbhum, Government of Jharkhand, having its office at Near Co-Operative College, C.H Area, Bistupur, Jamshedpur, Jharkhand, Pincode - 831001 do hereby solemnly affirm and state as follows :

1. That I am the District Mining Officer, East Singhbhum, Government of Jharkhand and I am aware of the facts and records in the instant case and have gone through the allegations and contentions of the applicant in the Original Application as such I am competent and duly authorized by the Respondent No. – 1 herein, to make and affirm the instant counter affidavit.

2. That, I am a law-abiding citizen of India and very much respect the Constitution and Judicial system of India.

3. That in pursuance and in compliance with the order dated 26.02.2024 of the Hon'ble Tribunal in the instant Original Application, this Affidavit is being filed on behalf of Deputy Commissioner, East Singhbhum, Government of Jharkhand i.e., Respondent No. – 2 to the Original Application.

NOTARY K. K. AGARWAL East Singhbhum Jamshedpur Regd. No.65/2002 GOVERNMENT OF JHARKHAND

Scanned with CamScanner

4. That, the instant Original Application was taken up Suo Moto by the Hon'ble Tribunal based on the news item which was related to the illegal extraction of sand it further discloses that the said extraction is taking place near Baridih district school mainly at night. The sand extractors transport illegally extracted sand through tractors and they extract the sand from deep water of river using boats and sell illegally at the rate ranging from Rs. 3500 to 4000 and this activity is going in collusion with the police officer.

5. That, it is humbly stated and submitted that the Mines and Geology Department, Government of Jharkhand vide its Sankalp 563/MoCo, dated 05/10/2005 has constituted a Task Force at the district. A District-level Task Force is constituted and review meeting of the Task Force is conducted regularly and strict directions have been issued to take action against any instance of illegal mining, storage, and transportation of minerals.

6. That, the aforesaid District Task Force regularly reviews the matter under the Chairmanship of Deputy Commissioner, East Singhbhum against illegal mining, transportation, and storage of minerals. In the District Task Force meeting held on Dated 29.06.2024, specific directions were given to all the concerned Circle Officers and Police Station in charge to keep a strict vigil in the area. ***Copy of meeting held on dated 29.06.2024 is annexed and marked herewith as Annexure – A.***

7. That, a summary of First Information Reports against illegal mining of sand in East Singhbhum district is summarized below for ready reference :

Year	Quantity	No. of vehicles	No. of FIR Lodged	Penalty
2022-23	1,39,020 cft	82	21	13,71,000.00
2023-24	3,24,120 cft	95	32	24,70,000.00
2024-25 (up to July, 2024	1,92,120 cft	71	35	11,41,500.00

NOTARY
K. K. AGARWAL
East Singhbhum
Jamshedpur
Regd. No.65/2002
GOVERNMENT OF JHARKHAND

Scanned with CamScanner

8. That, it is humbly stated and submitted that the Task Force is regularly taking action against the illegal mining, and storage of minerals in the districts. The action is taken in terms of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and rules made thereunder, and also relevant sections of IPC &BNS.

The action(s) taken by the Task Force for illegal mining, transportation, and storage of mineral sand in the Sidgoda area is annexed and marked herewith as Annexure – B.

9. That, it is humbly stated and submitted that all the temporary structures which they used to take help for extraction of sand from the river bed have been destroyed and to avoid entry of vehicles inside the route of the river, trench cutting of the main entrance of the road river has been done with the help of JCB and local police forces. ***Copy of the action taken photographs is annexed and marked herewith as Annexure – C.***

10. That, it is humbly stated and submitted that the District Survey Report of mineral sand, in consonance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 (SSMG – 2016) and Enforcement & Monitoring Guidelines Sand Mining (EMGSM – 2020) has been prepared by the Sub-divisional Committee of the District and appraised by the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Jharkhand.

11. That, it is humbly stated and submitted that the operation of Sand Ghats in the State of Jharkhand is governed by the Jharkhand State Sand Mining Policy – 2017 under which the sand ghats have been categorized as Category 1 and Category 2. The Category -1 sand ghats can used only for non-commercial purposes such as domestic purposes, community purposes, Government Sponsored schemes, etc., or as defined in Appendix – IX of Part – Ii – Section -3 – Sub Section – (ii) of Extraordinary Gazette of MoEF&CC, Government of India, New Delhi dated 15 January, 2016. The Category

NOTARY
K. K. AGARWAL
East Singhbhum
Jamshedpur
Regd. No.65/2002
GOVERNMENT OF JHARKHAND

Scanned with CamScanner

– 2 Sand Ghats shall be managed by the Jharkhand State Mineral Development Corporation Limited (JSMDC), which will be used for commercial purposes.

A list of 4 Category – 1 and 12 Category – 2 Sand Ghats for the East Singbhum district is annexed and marked herewith as Annexure - D.

12. That, it is humbly stated and submitted that the financial bid for the selection of MDO for the Category – 2 Sand Ghats of the district has been completed and necessary steps for obtaining the statutory clearances are being taken for the operationalization of these Ghats.

13. That, it is humbly stated and submitted that to prevent the transportation of illegal minerals in East Singhbhum district, check posts had been established at the identified routes and Magistrates were deputed to keep a strict vigil vide memo no. – 1665, Dated – 12/12/2023. ***A copy of order vide memo no. – 1665, Dated – 12/12/2023 is annexed and marked herewith as Annexure – E.***

14. That, it is humbly stated and submitted that all necessary steps are being taken to prevent illegal mining, transportation, and storage of minerals in the district.

15. That, this Affidavit is filled bonafide and in the interest of justice. It is therefore prayed that Your Lordship may Kindly be pleased to accept the instant counter affidavit.

16. I state that the statements contained in paragraphs Nos 1 to 2 are true to my knowledge, the statement contained in paragraph Nos. 3 to 15 are true to my information derived from the official records of the case, which I verily believe to be true and the rest is/are my respectful submissions before this Hon'ble Tribunal.

NOTARY
K. K. AGARWAL
East Singhbhum
Jamshedpur
Regd. No.65/2002
GOVERNMENT OF JHARKHAND

Scanned with CamScanner

VERIFICATION

I, Satish Kumar Nayak, Son of Lakhan Nayak Aged about 31 Years, by Religion Hindu by Occupation – Service under the State Government of Jharkhand in the office of District Mining Office, East Singhbhum, Government of Jharkhand, having its office at Near Co-operative College, C.H Area Bistupur, Jamshedpur, Jharkhand, Pincode - 831001 and that I am dealing with the connected records of the case in possession of the office of Deputy Commissioner, East Singhbhum, Government of Jharkhand.

Date :-

Place :-

KNOWN TO ME AND SIGNED IN MY PRESENCE

ADVOCATE

24/8/24

Satish Kumar Nayak

Signature

NOTARY ★ K. K. AGARWAL East Singhbhum Jamshedpur Regd. No.65/2002 GOVERNMENT OF JHARKHAND

Identified by me.

A. K. Pradhan

Advocate

24/8/24

KISHORE KUMAR AGARWAL NOTARY PUBLIC East Singhbhum Jamshedpur

Attested the Signatures of the Executant/Executants who Signed Put L.T.I., In Presence of Sri....A.K.... ....Pradhan......Advocate District Court, Jamshedpur and also Identified by him

24/8/24

Kishore Kr. Agarwal NOTARY E. Singhbhum, JSR

⑤

Scanned with CamScanner

(A)

Annexture..................

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(खनन शाखा)

अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के रोक–थाम हेतु दिनांक – 29.06.2024 को अपराह्न 01:00 बजे उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर की अध्यक्षता में आहूत जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति – पंजी में अलग से संधारित है।

पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के रोक–थाम हेतु उपायुक्त द्वारा दिनांक 29.06.2024 को पूर्वाह्न 01:00 बजे जिला समाहरणालय सभागार में आहूत बैठक में उपस्थित खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्य/पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई।

उपायुक्त द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के रोकथाम हेतु गत बैठक दिनांक 22.03.2024 को सम्पन्न जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को दिये गये निदेश के आलोक में किये गये अनुपालन की समीक्षा की गयी। बैठक में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा जिले में संपूर्ण रूप से अवैध खनन/परिवहन के विरूद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में अंचलवार विस्तृत विवरणी प्रस्तुत किया गया, साथ ही उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में अबतक कुल 46 मामलों की जाँच की गई, जिसमें से कुल 24 मामलों में प्राथमिकी दायर की गई एवं 61 वाहनों को जप्त किया गया। अवैध परिवहनकर्ता से 15,07,500.00 रूपये जुर्माना राशि की वसुली की गई है। समीक्षोपरान्त निम्न प्रस्ताव अंकित गया।

1) अंचलवार कार्रवाई की समीक्षा करने के दौरान यह पाया गया कि अंचल अधिकारी, गुड़ाबान्दा एवं डुमरिया द्वारा अबतक अवैध खनन/परिवहन के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसपर उपायुक्त द्वारा नराजगी व्यक्त की गई एवं सख्त निदेश दिया गया कि भविष्य में ऐसी लापरवाही न बरती जाय, क्योंकि यह खनन राजस्व से संबंधित अति महत्वपूर्ण विषय है। दोनों अंचल अधिकारियों को अवैध खनन/परिवहनकर्ता के विरूद्ध संबंधित स्थल पर औचक छापामारी/स्थल भ्रमण कर उस क्षेत्र से संबंधित थाना प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया एवं अगली बैठक में की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन को सम्मिलित करने हेतु निदेश दिया गया।

समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्तर से संबंधित थाना प्रभारी यथा गुड़ाबान्दा एवं डुमरिया को विशेष रूप से चेतावनी देते हुए निदेश दिया गया कि अवैध खनन/परिवहन के विरूद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाय एवं संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय बनाकर कार्रवाई में उन्हें सहयोग की जाय, ताकि अवैध बालू खनन/परिवहन कर्ताओं पर प्रभावी अंकुश लग सके। दिनांक – 10 जून, 2024 से 15 अक्टुबर, 2024 तक माननीय N.G.T द्वारा पारित आदेशानुसार जिले में सभी बालूघाटों से बालू लघु खनिज के उठाव पर पूर्णतयाः रोक है, जिसके संबंध में उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से माननीय N.G.T के उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट कराया गया। जिला दण्डाधिकारी – सह – उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर (खनन शाखा) के पत्रांक 517/खनन, दिनांक – 12.06.2024 निर्गत है, जो संबंधित विभाग/कार्यालय को प्रेषित है।

(अनुपालन – अंचल अधिकारी, गुड़ाबान्दा/डुमरिया/थाना प्रभारी, गुड़ाबान्दा/डुमरिया, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।)

GOVERNMENT OF JHARKHAND NOTARY K. K. AGARWAL East Singhbhum Jamshedpur Regd. No. 65/2002

ATTESTED

K. K. AGARWAL
NOTARY PUBLIC
JAMSHEDPUR

24/8/24

(1)

Scanned with CamScanner

2) समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त द्वारा जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स से संबंधित सभी सदस्यों के लिए बनाये गये Whatsapp Group में अवैध खनन/परिवहन से संबंधित गतिविधि/शिकायत/सूचना को अविलंब Share करने एवं संबंधित क्षेत्र में पदाधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन – सभी सदस्य, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।)

3) विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त हो रही सूचनाएँ/शिकायत के आधार पर जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में खनिज परिवहन कर रहे ट्रैक्टर बिना नम्बर प्लेट के ओभरलोड कर ढुलाई किये जाने की सूचना प्राप्त होती है। जिसके कारण औचक छापेमारी में जप्त वाहन के विरूद्ध कागजी कार्रवाई करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। यह भी बताया गया कि जिले में कई हाईवा वाहन मालिकों द्वारा Limit Capacity से अधिक लोड कर खनिज की ढुलाई की जाती है। इस अनियमितता के विरूद्ध उपायुक्त महोदय द्वारा कार्रवाई करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया एवं की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन टास्क फोर्स की अगली बैठक में सम्मिलित करने हेतु कहा गया।

(अनुपालन – जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर)

4) थाना प्रभारी, गुड़ाबान्दा से प्राप्त ज्ञापांक – 610/2024, दिनांक – 30.05.2024 जिसके संबंध में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा पत्र में वर्णित विषयवस्तु पर प्रकाश डालते हुए गुड़ाबान्दा थाना क्षेत्र अंतर्गत फोरेस्ट ब्लॉक के पाण्डुगोडा, भालकी तथा ग्राम चुआशोल के जंगलो से सफेद पत्थर (क्वॉट्ज़ाईट पत्थर) एवं कोईमा, केन्दुआपाल, भाखर, बालीजुड़ी, स्वर्गछिड़ा, रेरूआ विहिन्दा नदी घाटों से बालू खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की सूचना के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित वन विभाग के प्रतिनिधि को इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान देकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त महोदय द्वारा निदेश दिया गया। साथ ही वन क्षेत्र अंतर्गत अवैध खनन से संबंधित एरिया में Trench कटवाने का सुझाव दिया गया, ताकि वाहनो का परिचालन न हो सके एवं की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन टास्क फोर्स के आगामी बैठक में सम्मिलित करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन – वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर)

5) वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा मौजा – कुन्दरकोचा में गोल्ड माईन्स के आस–पास के क्षेत्रों में अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने की जानकारी दी गई, जिस पर उस क्षेत्र के सभी संबंधित पदाधिकारी को क्षेत्रिय भ्रमण कर अविलंब कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – अंचल अधिकारी, पोटका /थाना प्रभारी, कोवाली, पूर्वी सिंहभूम)

6) समीक्षात्मक बैठक में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में क्षेत्रीय भ्रमण/निरीक्षण के दौरान पाये गये खनिज के अवैध भण्डारण के विरूद्ध कार्रवाई के सिलसिले में संबंधित थाना प्रभारी द्वारा खनिज को जप्त कर उसका जिम्मेनामा बनाने/सौंपने के दौरान उनका अपेक्षित सहयोग न मिल पाने के फलस्वरूप कार्रवाई करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। उपायुक्त द्वारा इसके लिए संबंधित थाना प्रभारी को पाये गये भण्डारित खनिज से संबंधित विशिष्ट नागरिक/जनप्रतिनिधि यथा ग्राम प्रधान, मुखिया एवं सरपंच को जिम्मेनामा सौंपने में अपेक्षित सहयोग/कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन – जिला खनन पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर)

7) उपायुक्त महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि अवैध खनन/परिवहन के क्रम में जप्त वाहनो के विरूद्ध यथाशीघ्र प्राथमिकी हेतु आवेदन दिया जाय एवं प्राप्त आवेदन के पश्चात् थाना प्रभारी द्वारा तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन – सभी सदस्य, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।)

NOTARY
K. K. AGARWAL
East Singhbhum
Jamshedpur
Regd. No. 65/2002
GOVERNMENT OF JHARKHAND

ATTESTED
K. K. AGARWAL
NOTARY PUBLIC
JAMSHEDPUR

Scanned with CamScanner

8) उपायुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित प्रदूषण विभाग के पदाधिकारी को की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी देने हेतु कहा गया, जिसपर उनके द्वारा ठोस उत्तर नहीं दिया गया, जिसपर उपायुक्त द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। तदोपरान्त उन्हें कार्रवाई हेतु प्रपत्र तैयार कर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में क्रशर, ईट–भट्ठा आदि क्षेत्रों का निरीक्षण कर की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी देने एवं आगामी बैठक से पूर्व माहवार प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन – झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, क्षेत्रीय कार्यालय आदित्यपुर)

अंत में उपायुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 628 /खनन, दिनांक 10.07.2024

प्रतिलिपि – वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/ आरक्षी अधीक्षक, (ग्रामीण) पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/ आरक्षी अधीक्षक, (नगर), पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि – व्यवस्था, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/ जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम/घाटशिला/ जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, आदित्यपुर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, घाटशिला, पुलिस उपाधीक्षक, पटमदा, सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पूर्वी सिंहभूम।

GOVERNMENT OF JHARKHAND NOTARY K. K. AGARWAL East Singhbhum Jamshedpur Regd. No. 65/2002

ATTESTED
K. K AGARWAL
NOTARY PUBLIC
JAMSHEDPUR

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Scanned with CamScanner

Annexture...B...

सिदगोड़ा थाना अंतर्गत बालु घाटों में बालु के उत्खनन, भंडारण एवं प्रेषण के बाबत अबतक की गई कार्यवाही का ब्यौरा –

क्र0	दिनांक	स्थल	जप्त वाहन की संख्या	जप्त खनिज की मात्रा	अभियुक्ति
1	22.02.2021	बागुनहातु नदी घाट	01	बालु 70 cft.	अवैध बालु के परिवहन के बाबत जुर्माना की राशि कुल रू0 **50,000/–** की वसुली की गई है।
2	03.07.2021	बारीडीह एवं बागुनहातु नदी घाट	....	....	अवैध बालु उत्खनन के बाबत कुल 03 व्यक्तियों के विरूद्ध सिदगोड़ा थाना कांड संख्या – 85/21, दिनांक 03.07.21 दर्ज।
3	06.07.2021	बारीडीह नदी घाट	01	बालु 80 cft.	सिदगोड़ा थाना कांड सं0 – 86/21, दिनांक 06.07.2021 दर्ज।
4	03.08.2021	भुईयाँडीह नदी घाट	01	बालु 80 cft.	सिदगोड़ा थाना कांड सं0 – 113/21, दिनांक 03.08.2021 दर्ज।
5	10.01.2022	बारीडीह नदी घाट	01	बालु 60 cft.	सिदगोड़ा थाना कांड सं0 – 07/22, दिनांक 10.01.2022 दर्ज।
6	14.02.2022	बारीडीह नदी घाट	01	बालु 80 cft.	सिदगोड़ा थाना कांड सं0 – 31/22, दिनांक 14.02.2022 दर्ज।
7	29.08.2022	सिदगोड़ा थाना के करीब	02	बालु 300 cft.	अवैध बालु के परिवहन के बाबत जुर्माना की राशि कुल रू0 **80,000/–** की वसुली की गई है। जुर्माना राशि वसुली गई।
8	23.12.2022	सिदगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत	02	बालु 200 cft.	सिदगोड़ा थाना कांड सं0 – 201/2022, दिनांक – 23.12.2022 दर्ज।
9	19.04.2023	सिदगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत	01	बालु 100 cft.	सिदगोड़ा थाना कांड सं0 – 100/2023, दिनांक – 19.04.2023 दर्ज।
10	06.11.2023	सिदगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत	01	बालु 100 cft.	अवैध बालु के परिवहन के बाबत जुर्माना की राशि कुल रू0 **25,000/–** की वसुली की गई है। जुर्माना राशि वसुली गई।
11	24.12.2023	सिदगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत	02	बालु 200 cft.	अवैध बालु के परिवहन के बाबत जुर्माना की राशि कुल रू0 **1,00,000/–** की वसुली की गई है। जुर्माना राशि वसुली गई।

ATTESTED
K. K AGARWAL
NOTARY PUBLIC
JAMSHEDPUR

NOTARY
K. K. AGARWAL
East Singhbhum
Jamshedpur
Regd. No.65/2002
GOVERNMENT OF JHARKHAND

Scanned with CamScanner

जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

वर्ष 2021 – 23 तक सिदगोड़ा थाना अंतर्गत अवैध खनिकर्म की रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई की विवरणी।

1) कुल मामलें – 11
2) दर्ज प्राथमिकी – 07
3) जप्त वाहन – 13
4) वसुली गई राशि – 2,55,000.00 (दो लाख पचपन हजार मात्र)

ATTESTED
K. K. AGARWAL
NOTARY PUBLIC
JAMSHEDPUR

NOTARY
K. K. AGARWAL
East Singhbhum
Jamshedpur
Regd. No.65/2002
GOVERNMENT OF JHARKHAND

Scanned with CamScanner

जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
(Email Id – dmo-jamshedpur@jharkhandmail.gov.in)

सिदगोड़ा थाना अंतर्गत अवैध खनिज उत्खनन, भंडारण एवं प्रेषण के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 में अब तक किये गये कार्रवाई की सूची।

क्र0 सं0	तिथि	अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण से संबंधित मामले का संक्षिप्त विवरण	खनिज/मात्रा	कृत कार्रवाई	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	14.04.24	सिदगोड़ा थाना अंतर्गत बिना परिहवन चालान के बालू खनिज का परिवहन करने के बाबत।	बालु – लगभग 30 Cft	1) 407 वाहन सं0 – JH05CH – 6283 (बालू लगभग – 30 cft.)	जुर्माना की राशि **7,500/–** रूपये वसुली गई।
2	20.05.24	सिदगोड़ा थाना अंतर्गत बिना परिवहन चालान के बालू का परिवहन करने के बाबत।	बालू – लगभग 100 Cft.	वाहन सं0 – JH05AL – 2418 (बालू लगभग – 100 cft.)	सिदगोड़ा थाना कांड सं0 85/24 दिनांक 20.05.2024 दर्ज।
3	21.05.24	सिदगोड़ा थाना अंतर्गत बिना परिवहन चालान के बालू का परिवहन करने के बाबत।	कुल बालू – लगभग 1500 Cft.	1) वाहन सं0 – BR11GA – 0358 (बालू लगभग – 500 cft.) 2) वाहन सं0 – JH05BD – 1618 (बालू लगभग – 500 cft.) 3) वाहन सं0 – JH05CM – 1284 (बालू लगभग – 500 cft.)	जुर्माना की राशि **2,90,000/–** रूपये वसुली गई।
4	21.06.24	सिदगोड़ा थाना अंतर्गत अवैध रूप से बालू का परिवहन करने के बाबत।	बालू – लगभग 100 Cft.	वाहन सं0 – JH05AT – 5720 (बालू लगभग – 100 cft.)	सिदगोड़ा थाना कांड सं0 131/24, दिनांक 21.06.2024 दर्ज।
5	19.07.24	सिदगोड़ा [illegible] अंतर्गत [illegible] घाट से बालू खनिज की [illegible] परिवहन करने के [illegible]	[illegible] 200 Cft.	1) वाहन सं0 – JH05CB – 2271 (बालू लगभग – 100 cft.) 2) वाहन सं0 – JH05CF – 7709 (बालू लगभग – 100 cft.)	सिदगोड़ा थाना कांड सं0 151/24, दिनांक 19.07.2024 दर्ज।

ATTESTED
NOTARY K. K. AGARWAL East Singhbhum Jamshedpur Regd. No. 65/2002 GOVERNMENT OF JHARKHAND
K. K. AGARWAL NOTARY PUBLIC JAMSHEDPUR

Scanned with CamScanner

जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में अबतक अवैध खनिकर्म की रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई की विवरणी।

1) कुल मामलें – 05
2) दर्ज प्राथमिकी – 03
3) जप्त वाहन – 08
4) वसुली गई राशि – 2,97,500.00 (दो लाख संतानवे हजार पाँच सौ मात्र)

ATTESTED

K. K. AGARWAL
NOTARY PUBLIC
JAMSHEDPUR

GOVERNMENT OF JHARKHAND ★ K. K. AGARWAL East Singhbhum Jamshedpur Regd. No. 65/2002 ★ NOTARY

Scanned with CamScanner

Annexture C

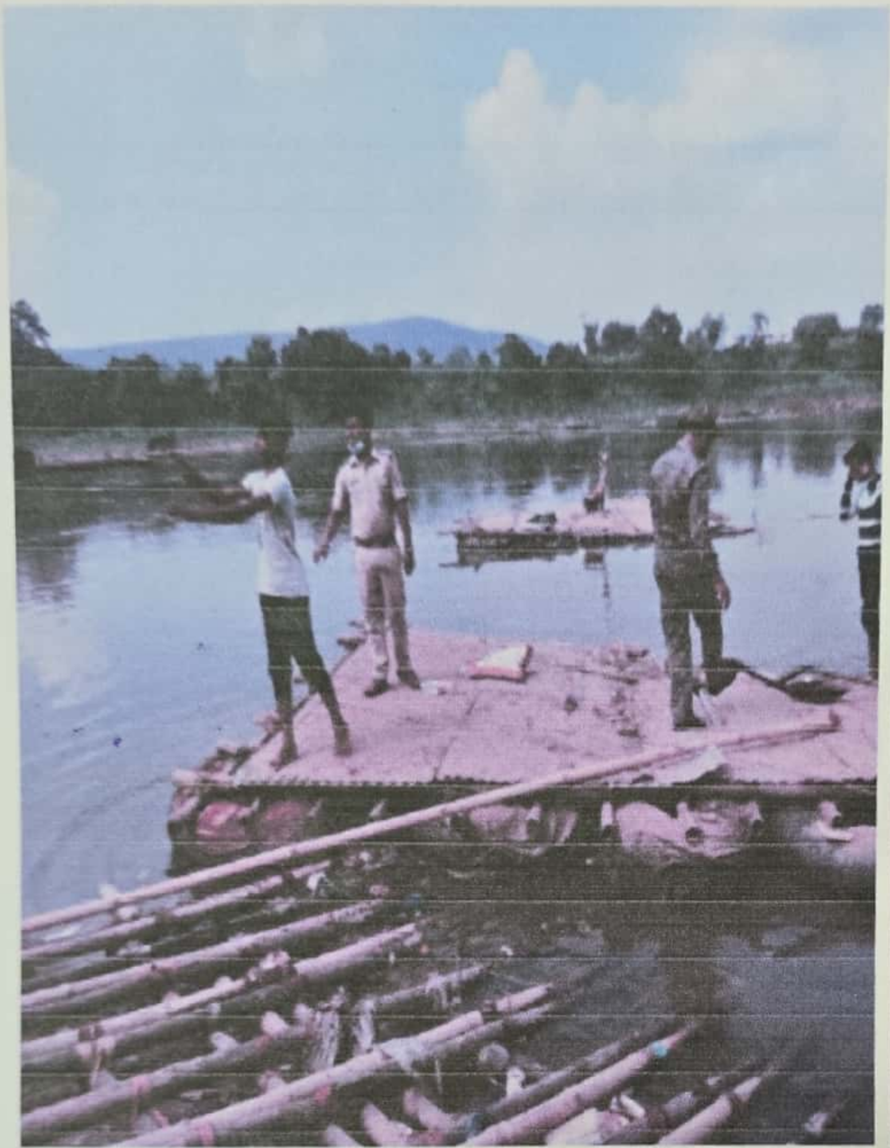

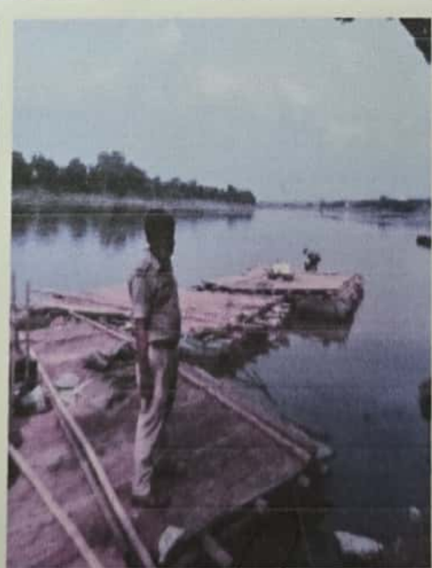

NOTARY
K. K. AGARWAL
East Singhbhum
Jamshedpur
Regd. No. 65/2002
GOVERNMENT OF JHARKHAND

ATTESTED

K. K. AGARWAL
NOTARY PUBLIC
JAMSHEDPUR

Scanned with CamScanner

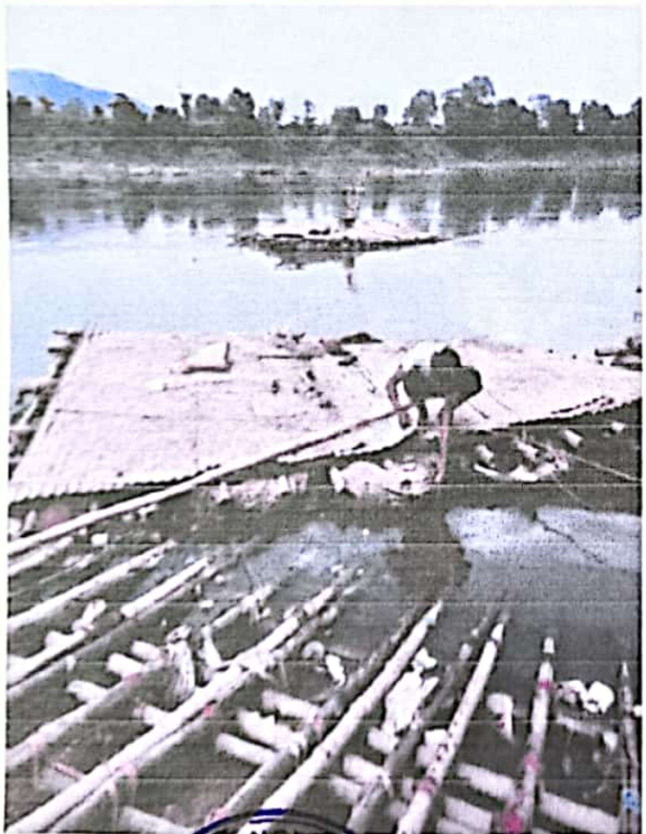

NOTARY
K. K. AGARWAL
East Singhbhum
Jamshedpur
Regd. No.65/2002
GOVERNMENT OF JHARKHAND

ATTESTED

K. K. AGARWAL
NOTARY PUBLIC
JAMSHEDPUR

Scanned with CamScanner

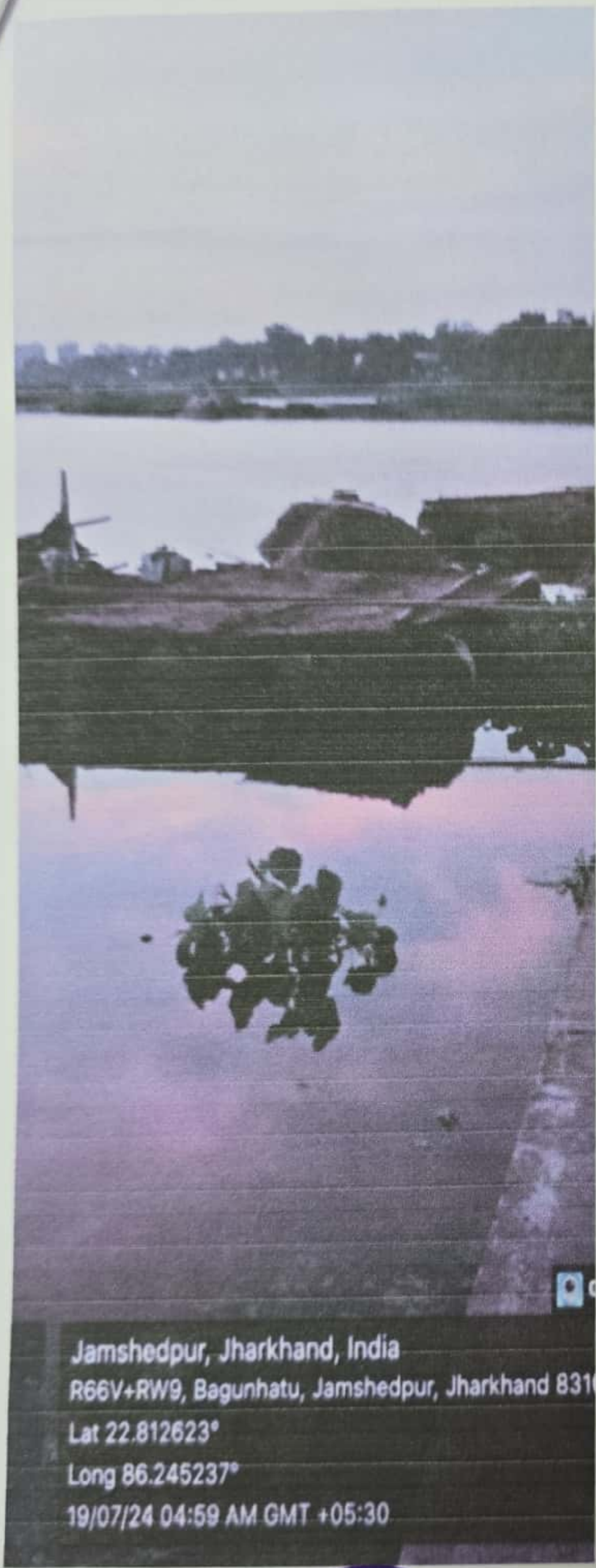

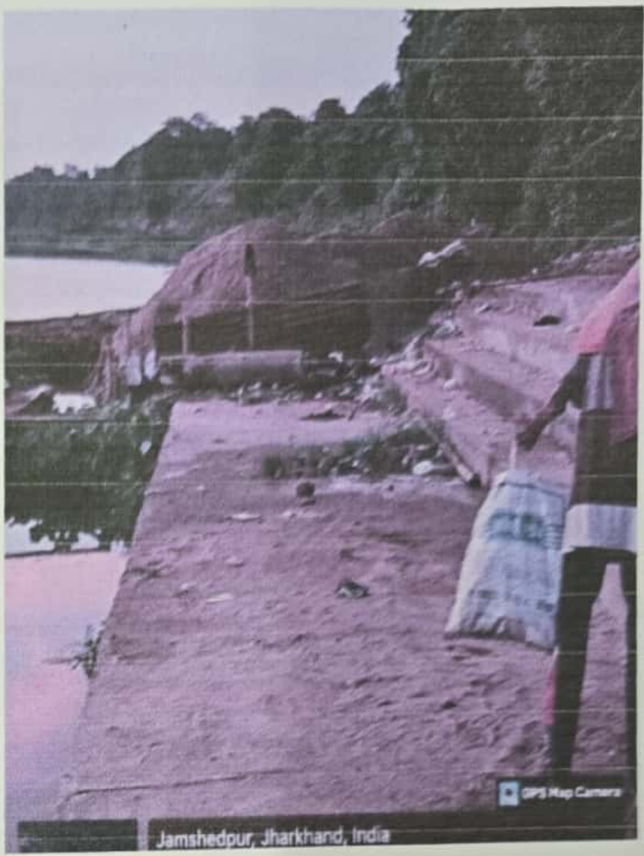

NOTARY
K. K. AGARWAL
East Singhbhum
Jamshedpur
Regd. No. 65/2002
GOVERNMENT OF JHARKHAND

ATTESTED

K. K AGARWAL
NOTARY PUBLIC
AMSHEDPUR

(15)

Scanned with CamScanner

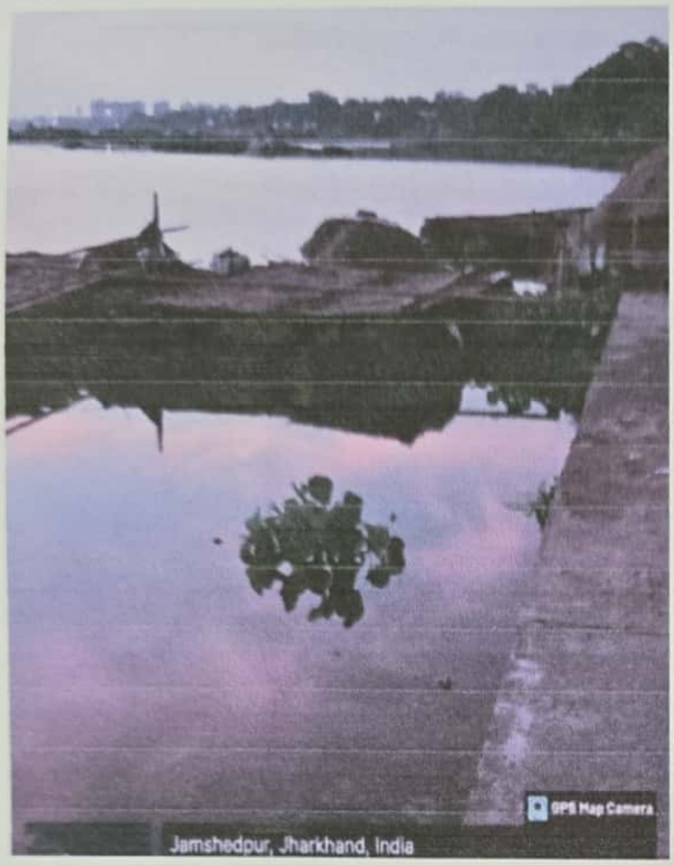

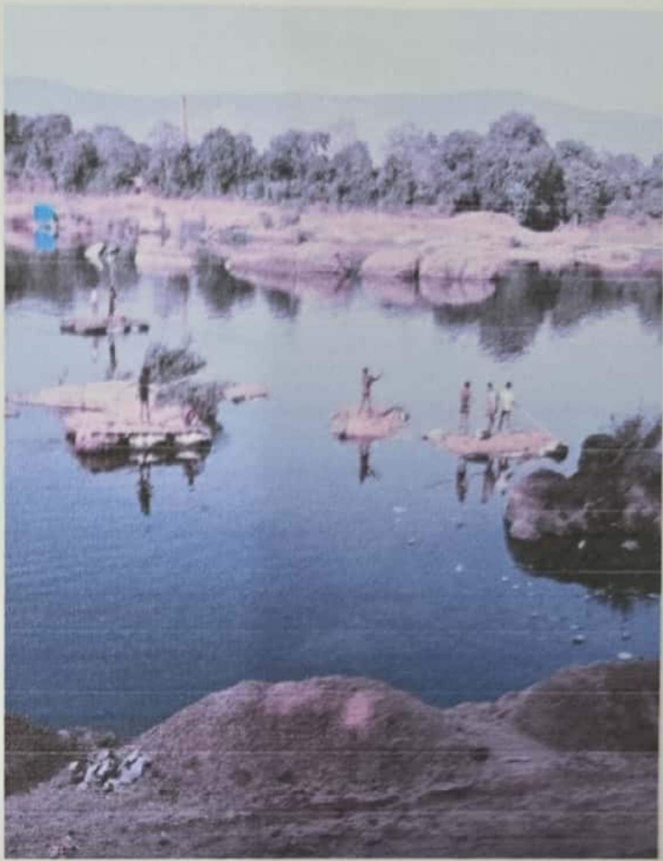

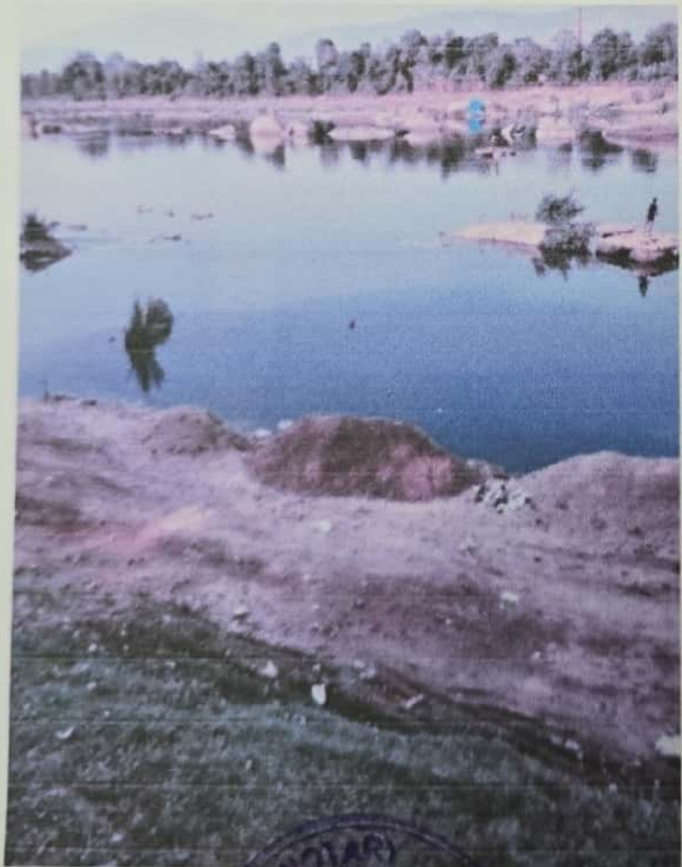

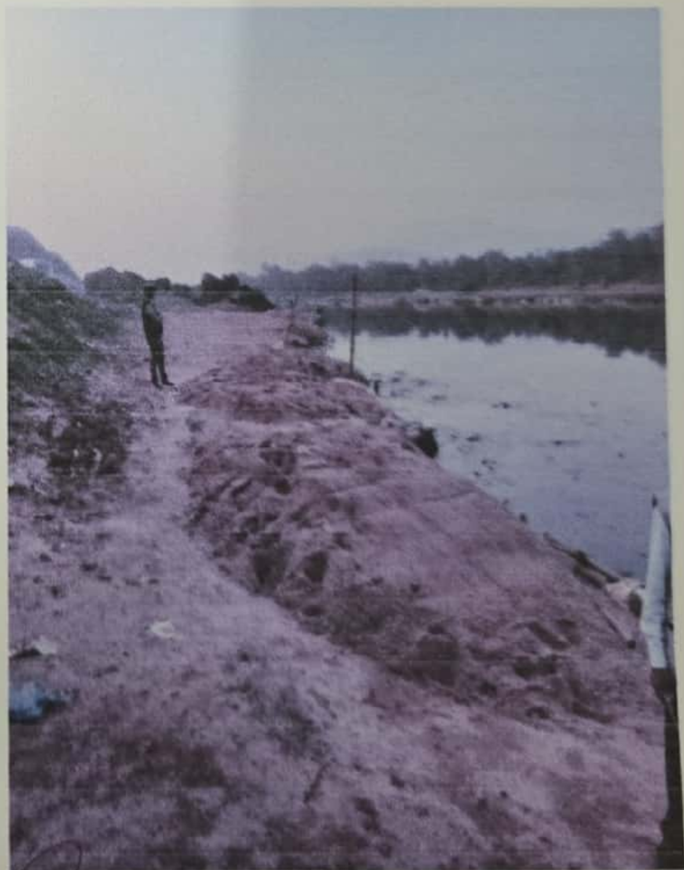

NOTARY
K. K. AGARWAL
East Singhbhum
Jamshedpur
Regd. No.65/2002
GOVERNMENT OF JHARKHAND

ATTESTED

K. K AGARWAL
NOTARY PUBLIC
JAMSHEDPUR

Scanned with CamScanner

Annexture...D........................

जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत कैटेगरी – I के बालूघाटों से संबंधित विवरणी।

Sl.	Location	River	Area (In acres)
1	JOJOSAI 1	GARRA	0.6043
2	JOJOSAI 2	GARRA	1.3767
3	BADA SIGDI	GARRA	2.5959
4	DABANKI	GARRA	1.2583

NOTARY ★ K. K. AGARWAL East Singhbhum Jamshedpur Regd. No. 65/2002 ★ GOVERNMENT OF JHARKHAND

ATTESTED

K. K AGARWAL
NOTARY PUBLIC
JAMSHEDPUR

Scanned with CamScanner

जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत कैटेगरी – II के बालूघाटों से संबंधित विवरणी।

क्र0	बालूघाटों की विवरणी	अंचल	रकवा
1	कुलियाना एवं सुन्दरकनाली	घाटशिला	4.00 हेक्टेयर
2	सोनागाढ़ा	मुसाबनी	2.54 हेक्टेयर
3	चन्दनपुर	चाकुलिया	4.97 हेक्टेयर
4	भाखर	गुड़ाबान्दा	6.29 हेक्टेयर
5	बालीजुड़ी एवं तरासपुर	गुड़ाबान्दा	7.37 हेक्टेयर
6	बनकाटा	बहरागोड़ा	4.40 हेक्टेयर
7	रेरूआ	गुड़ाबान्दा	13.3 हेक्टेयर
8	बालीजुड़ी – II	गुड़ाबान्दा	24.00 हेक्टेयर
9	कोरियामोहनापाल एवं स्वर्णरेखा	गुड़ाबान्दा	46.3 हेक्टेयर
10	कोरियामोहनपाल	गुड़ाबान्दा	34.7 हेक्टेयर
11	कोरियामोहनापाल एवं स्वर्णरेखानदीपाल	गुड़ाबान्दा	71.00 हेक्टेयर
12	डोमजुड़ी, नेकड़ाडीह, नागुरसाई एवं दीपापाल	बहरागोड़ा	126 हेक्टेयर

NOTARY
K. K. AGARWAL
East Singhbhum
Jamshedpur
Regd. No.65/2002
GOVERNMENT OF JHARKHAND

ATTESTED

K. K. AGARWAL
NOTARY PUBLIC
JAMSHEDPUR

Scanned with CamScanner

Annexture E

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(विधि–व्यवस्था शाखा)

संयुक्त आदेश

जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–1327/खनन, दिनांक–11.12.20 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक–23.11.2023 को खनन टास्क फोर्स की बैठक में खनिजों के अवैध परिव की जांच एवं रोकथाम हेतु अस्थायी चेकपोस्ट संचालित निर्णय लिया गया है। उक्त आलोक में 04 स्थानों चिन्हित करते हुए तीनों पालियों में दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया गया है।

पूर्वी सिंहभूम जिला में विधि–व्यवस्था का संधारण, अपराध का नियंत्रण एवं अन्य अवैध ख नदियों से बालू का अवैध ढुलाई की रोकथाम तथा अन्य को ध्यान में रखते हुए जाँच हेतु चेकपोस्ट का ग करते हुए नीचे अंकित पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों को दिनांक–14.12.2023 से अगले आ तक पालीवार प्रतिनियुक्त किया जाता है। उन्हें निदेश दिया जाता है कि जाँच के दौरान अवैध खनन, अवैध ढ ढुलाई एवं अपराध नियंत्रण हेतु नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्रवाई से सम्बन्धित सू जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को देंगे।

क्र0	अंचल का नाम	चेक पोस्ट का स्थान	प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पुलिस पदा0/बल	पाली
1	घाटशिला	गालूडीह टोल प्लाजा के समीप।	1) श्री हरे कृष्ण मण्डल, क0अ0, घाटशिला प्रखण्ड 7903270706	स0अ0नि0 पंकज किशोर सिंह, घाटशिला थाना मो0 8521363419 के साथ 02 लाठी बल पुलिस केन्द्र से।	Group A – 06.00 A.M to 02.00
			2) श्री संजय, क0अ0, लघु वितरणी प्र0 सं0–09, गालुडीह मो0 नं0–7631130332	स0अ0नि0 उपेन्द्र सिंह, मो0 8271250108 के साथ 02 लाठी बल पुलिस केन्द्र से।	Group B – 02.00 P.M to 10.00
			3) श्री राजकुमार, क0अ0, लघु वितरणी प्र0 सं0–10, घाटशिला 8210830904	स0अ0नि0 उमाशंकर राम, गालुडीह थाना मो0 6206130612 के साथ 02 लाठी बल पुलिस केन्द्र से।	Group C – 10.00 P.M to 06.00.
2	पोटका	हाता चौक यात्री भोड के सामने।	1) श्री भोगान टुडू, क0अ0, पोटका प्रखण्ड 8825256689	स0अ0नि0 सुमन कुमार सिंह, कोवाली थाना मो0 9430315911 के साथ 02 लाठी बल पुलिस केन्द्र से।	Group A – 06.00 A.M to 02.00
			2) श्री मनोज कुमार माहली, क0अ0, पोटका प्रखण्ड 8825166605	स0अ0नि0 श्रीकान्त कुमार, पुलिस केन्द्र, मो0 8521878790 के साथ 02 लाठी बल पुलिस केन्द्र से।	Group B – 02.00 P.M to 10.00
			3) श्री रिद्वीष कुमार, क0अ0, पोटका प्रखण्ड 7903315358	स0अ0नि0 बाबुजन बास्की, पोटका थाना मो0 9939323978 के साथ 02 लाठी बल पुलिस केन्द्र से।	Group C – 10.00 P.M to 06.00.

NOTARY ★ K. K. AGARWAL East Singhbhum Jamshedpur Regd. No. 65/2002 ★ GOVERNMENT OF JHARKHAND

ATTESTED

K. K. AGARWAL
NOTARY PUBLIC
JAMSHEDPUR

(19)

Scanned with CamScanner

3	मानगो	पारडीह होटल सिटी ईन के सामने।	1)श्री मन्टु कुमार दास, क0अ0, गुण नियंत्रण प्र0, जमशेदपुर 9199220261	स0अ0नि0 बिरसु उरॉव, ओलीडीह ओ0पी0, मो0 8102715576 के साथ 02 लाठी बल पुलिस केन्द्र से।	Group A – 06.00 A.M to 02.00 P
			2)श्री कन्हैया कुमार सिंह, क0अ0, लघु वितरणी प्र0 सं0–05, जमशेदपुर 8789595981	स0अ0नि0 हरेराम शुक्ला, मानगो थाना, मो0 6203025835 के साथ 02 लाठी बल पुलिस केन्द्र से।	Group B – 02.00 P.M to 10.00 P
			3) श्री राकेश कुमार, क0अ0, लघु वितरणी प्र0 सं0–03, जमशेदपुर 8083513118	स0अ0नि0 शिवचरण भगत, आजादनगर थाना मो0 9835983694 के साथ 02 लाठी बल पुलिस केन्द्र से।	Group C – 10.00 P.M to 06.00 A
4	जमशेदपुर	डोबो ब्रिज के पास।	1) श्री सतीश कुमार उपाध्याय, क0अ0, पथ प्र0, जमशेदपुर 8709652296	स0अ0नि0 जगत पाल मॉझी, पुलिस केन्द्र, मो0 9431390343 के साथ 02 लाठी बल पुलिस केन्द्र से।	Group A – 06.00 A.M to 02.00 F
			2) श्री ध्रुव कुमार वर्मा, सहा0 अभि0, लघु वितरणी प्र0 सं0–12, जम0 9899780673	स0अ0नि0 सोनेल हॉसदा, कदमा थाना मो0 9973672733 के साथ 02 लाठी बल पुलिस केन्द्र से।	Group B – 02.00 P.M to 10.00 F
			3) श्री दुश्यंत कुमार कच्छप, क0अ0, सुवर्णरेखा नहर प्र0, जमशेदपुर 9386227404	स0अ0नि0 उमेश सिंह, सोनारी थाना मो0 8409685219 के साथ 02 लाठी बल पुलिस केन्द्र से।	Group C – 10.00 P.M to 06.00 A

उपर्युक्त टीम तिथिवार निम्न प्रकार पालीवार कार्यरत रहेगा।

तिथि	06.00 A.M to 02.00 PM	02.00 P.M to 10.00 PM	10.00 P.M to 06.00 AM
प्रत्येक माह के 1 तारीख से 10 तारीख तक	A	B	C
प्रत्येक माह के 11 तारीख से 20 तारीख तक	B	C	A
प्रत्येक माह के 21 तारीख से 30 एवं 31 तारीख तक	C	A	B

संबंधित अंचल अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत चेक पोस्ट पर किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण अनुश्रवण करेंगें।

अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर/अनुमण्डल पदाधिकारी, घाटशिला अपने क्षेत्र विधि–व्यवस्था एवं अन्य सभी व्यवस्थाओं के प्रभार में रहेंगे। अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के अतिरि आवश्यकतानुसार दण्डाधिकारी की प्रतिस्थानी प्रतिनियुक्ति करने हेतु उन्हें प्राधिकृत किया जाता है।

प्रभारी पदवर–प्रथम, पुलिस केन्द्र, जमशेदपुर को निदेश दिया जाता है कि प्रतिनियुक्त बलों ससमय संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिवेदित कराना सुनिश्चित करेंगे।

NOTARY K. K. AGARWAL East Singhbhum Jamshedpur Regd. No. 65/2002 GOVERNMENT OF JHARKHAND

ATTESTED

K. K. AGARWAL
NOTARY PUBLIC
JAMSHEDPUR

Scanned with CamScanner

संबंधित सभी थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/बलों को स्व ब्रीफ कर प्रभावकारी ढंग से चेकिंग कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी किसी कारणव अवकाश/जिला से बाहर हो तो उनके स्थल पर दूसरे पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति संबंधित थाना प्रभारी सुनिश्चि कराएँगे।

जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, संबंधित अंचल अधिकारी, खान निरीक्षक उ स्थापित अस्थायी चेकपोस्ट पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए समय-समय पर उक्त चेकपोस्टों औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।

12/12/23

वरीय पुलिस अधीक्षक
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

12/12/2023

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 1665 / वि0व्य0, दिनांक 12 / 12 / 2023

प्रतिलिपि – आयुक्त सिंहभूम (कोल्हान), प्रमंडल, चाईबासा/पुलिस उप-महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हा प्रमंडल, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – पुलिस अधीक्षक, नगर, जमशेदपुर/ग्रामीण, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/उप विकास आयुक्त, सिंहभूम, जमशेदपुर /अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था, जमशेदपुर /अपर उपायुक्त, सिंहभूम, जमशेदपुर /जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर / अनुमंडल पदाधिक धालभूम, जमशेदपुर /घाटशिला/संबंधित अंचल अधिकारी, पोटका/ मानगो/ घाटशिल जमशेदपुर एवं सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी पुलिस उपाधीक्षक, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, गोलमुरी, जमशेदपुर/सभी पुलि निरीक्षक/सभी संबंधित थाना प्रभारी/सभी संबंधित पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला जन संपर्क पदाधिकारी, जमशेदपुर/नजारत उप समाहर्त्ता, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/12/23

वरीय पुलिस अधीक्षक
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

12/12/2023

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

NOTARY
K. K. AGARWAL
East Singhbhum
Jamshedpur
Regd. No. 65/2002
GOVERNMENT OF JHARKHAND

ATTESTED

K. K. AGARWAL
NOTARY PUBLIC
JAMSHEDPUR

(4)

Scanned with CamScanner